E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2022; 4(4): 97-100
Received: 24-08-2022
Accepted: 27-09-2022

सहायक प्राध्यापक
शिक्षा, चन्द्रशेखर शिक्षा महाविद्यालय, बगहा, सतना, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
सहायक प्राध्यापक
शिक्षा, चन्द्रशेखर शिक्षा महाविद्यालय, बगहा, सतना, मध्य प्रदेश, भारत

प्रयागराज जनपद में आरटीई एक्ट–2009 के क्रियान्वयन के संदर्भ में सतत् एवं समग्र मूल्यांकन पद्धति की प्रभावशीलता का अध्ययन

डॉ. विधान कुमार शुक्ला

सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र प्रयागराज जनपद में आरटीई एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के संदर्भ में सतत् एवं समग्र मूल्यांकन पद्धति की प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया है। संपूर्ण देश के साथ–साथ उत्तरप्रदेश के प्रयागराज जनपद में भी आरटीई 2009, 1 अप्रैल 2009 से लागू हुआ। सतत् एवं समग्र मूल्यांकन पद्धति पुरानी परीक्षा प्रणाली से बेहतर है, इसलिए आरटीई के गाईडलाइन के अनुसार पूरे प्रदेश में अपनाया गया। शोध क्षेत्र में सतत् एवं समग्र मूल्यांकन प्रविधि का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं? क्या यह पद्धति विद्यार्थियों का सही–सही आंकलन करने के प्रति गंभीर है? अध्ययन हेतु कक्षा 9वीं में अध्ययनरत् 140 शासकीय एवं 140 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का न्यादर्श के रूप में चयन किया गया है। शोध क्षेत्र में सी.सी.ई पद्धति का आर.टी.ई. के परिपेक्ष्य में सार्थक क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

कुटशब्दः प्रयागराज जनपद, आरटीई एक्ट 2009, सतत् एवं समग्र मूल्यांकन, प्रभावशीलता

प्रस्तावना
शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी कानून के लागू होने से स्वतंत्रता के छः दशक पश्चात् बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ है। यह काननू 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। इसे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 नाम दिया गया है।

इस अधिनियम के लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। इस अधिनियम की खास बात यह है कि गरीब परिवार के वे बच्चे, जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, के लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है।

राइट–टू–इजुकेशन एक्ट लागू होने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत नौजवानों को देश है, बच्चों और नौजवानों को उनकी शिक्षा और उनके विशिष्ट गुणों का परिमार्जन करके देश को खुशहाल और शक्तिशाली बनाया जाएगा।

शिक्षा के अधिकार के साथ बच्चों एवं युवाओं का विकास होता है तथा राष्ट्र शक्तिशाली एवं समृद्ध बनता है। यह उत्तरदायी एवं सक्रिय नागरिक बनाने में भी सहायक है। इसमें देश के सभी लोगों, अभिभावकों एवं शिक्षकों का भी सहयोग आवश्यक है।

शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को न तो स्कूल फीस देनी होगी, न ही यूनिफार्म, बुक, ट्रांसपोर्टेशन या मीड–डे–मील जैसी चीजों पर ही खर्च करना होगा। बच्चों का न तो अगली क्लास में पहुंचने से रोका जाएगा, न निकाला जाएगा, न ही उनके लिए बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

शिक्षा का सार्वभौमिक उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का तात्पर्य बच्चे के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं नैतिक विकास से है। शिक्षा के सार्वभौम उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, इसे ज्ञात करने के लिए मूल्यांकन किया जाना जरूरी है।

शोध समस्या में प्रयुक्त शब्दावली का परिभाषीकरण
1. **प्रयागराज जनपदः** प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में 25.45°उ० 81.84°पू० पर स्थित है। यह गंगा और यमुना नदियों के संगम पर समुद्र–स्तर से 98 मीटर (322 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है । यह क्षेत्र प्राचीन काल में वत्स देश के रूप में जाना जाता था। इसके दक्षिणी और दक्षिण–पूर्व में बागेलखंड क्षेत्र है; पूर्व में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी (पूर्वांचल) है; दक्षिण–पश्चिम में बुंदेलखंड क्षेत्र है; उत्तर एवं उत्तर–पूर्व में अवध क्षेत्र है; तथा पश्चिम में कौशाम्बी के साथ प्रयागराज दोआब बनाता है जिसे निछला दोआब क्षेत्र कहते हैं। प्रयागराज के उत्तर में प्रतापगढ़, पूर्व में संत रविदासनगर, दक्षिण में रीवा (म०प्र०) तथा पश्चिम में कौशाम्बी स्थित हैं।

2. **आरटीई एक्ट – 2009:** अनुच्छेद 21–क और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम के शीर्षक में 'निःशुल्क और अनिवार्य' शब्द सम्मिलित हैं। निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य किसी बच्चे जिसकों उसके माता–पिता द्वारा स्कूल में दाखिल किया गया है, को छोड़कर कोई बच्चा, जो उचित सरकार द्वारा समर्थित नहीं है, किसी किस्म की फीस या प्रभार या व्यय जो प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने और करने से उसको रोके अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
3. **सतत् एवं समग्र मूल्यांकन पद्धतिः** यह पद्धति कक्षा एवं विद्यार्थी आधारित है। यह एक निरतंर एवं नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अन्तर्गत सीखना, सिखाना और मूल्यांकन दोनों साथ–साथ चलते हैं। इसका आशय बच्चों की सफलता अथवा असफलता से नहीं, अपितु उनकी योग्यता को बढ़ावा देने एवं सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने से है।

शोध अध्ययन का महत्व

वर्तमान में संचालित सी.सी.ई केवल कक्षोन्नति प्रदान करने का उपकरण मात्र तो नहीं? क्या वास्तव में यह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन सही अर्थों में कर रही है? क्या विद्यार्थियों के सज्ञानात्मक एवं सह–संक्षानात्मक क्षेत्रों का वास्तविक मूल्यांकन हो रहा है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर चुके विद्यार्थी न्यूनतम ज्ञान, कौशल, योग्यता प्राप्त कर चुके हैं? इस शोध अध्ययन से सी.सी.ई के सुचारू और प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. प्रयागराज जनपद में सत्र 2021–22 में शासकीय एवं निजी शालाओं के कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों का सी.सी.ई. पद्धति द्वारा मूल्यांकित संज्ञानात्मक एवं सह संज्ञानात्मक क्षेत्रों में उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना है।
2. प्रयागराज जनपद में सत्र 2022–23 में कक्षा 9वीं में पहुंचे इन्हीं विद्यार्थियों का त्रैमासिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर शैक्षणिक उपलब्धियों का अध्ययन किया जाना है।
3. दोनों परीक्षा परिणामों के तुलनात्मक अध्ययन से सी.सी.ई की प्रभावशीलता को जाँचना।

शोध परिकल्पना

शैक्षिक अनुसंधान में समस्या चयन के बाद परिकल्पनाओं की रचना शोध प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तम्भ है। परिकल्पना से समस्या समाधान को उचित दिशा निर्धारित होती हैं परिकल्पनाओं द्वारा अनुसंधानकर्ता को तर्क संगत आंकड़ों के संकलन में ठीक दिशा मिलती है। भौतिक विज्ञानों में एक ही परिकल्पना को लेकर उसका परीक्षण करते हैं, किन्तु शैक्षिक अनुसंधान में अनेक परिकल्पनायें लेते हैं और प्रत्येक की सत्यता का परीक्षण करते हैं। अतः परिकल्पना का निर्माण समस्या की प्रकृति पर निर्भर है। प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ निम्नानुसार हैः–

1. "सी.सी.ई. रिपोर्ट विद्यार्थियों का सही आंकलन कर पा रहा है।"
2. "शासकीय शालाओं की तुलना में अशासकीय शालाओं द्वारा सी.सी.ई. का पालन अधिक गंभीरतापूर्वक किया जा रहा है।"

अध्ययन का परिसीमन

प्रस्तावित शोध कार्य का क्षेत्र जिला इलाहाबाद है। इसके अन्तर्गत 7 तहसील – सोरांव, फूलपुर, हंडिया, बारा, करछना, मेजा एवं कोराव हैं।

न्यादर्श चयन

अनुसंधान तथा शोध के प्रयोग का प्रारूप न्यादर्श की प्रविधि पर आधारित होता है। एक उत्तम प्रकार के शोध कार्य में न्यादर्श तथा उसकी जनसंख्या संबंधी समस्त सूचनाओं को दिया जाता है। शोध कार्य को सार्थक करने के लिए न्यादर्श का चयन किया जाता है जो निम्नानुसार है–

सारणी 1: न्यादर्श चयन

क्र.	तहसील	विद्यालय संख्या	छात्र संख्या
1.	सोरांव	04	40
2.	फूलपुर	04	40
3.	हंडिया	04	40
4.	बारा	04	40
5.	करछना	04	40
6.	मेजा	04	40
7.	कोराव	04	40
योग		28	280

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है जिले के सभी तहसीलों से 04–04 विद्यालय जिसमें 02 शासकीय एवं 02 अशासकीय विद्यालय कुल 28 विद्यालयों का चयन दैव निदर्शन पद्धति द्वारा अध्ययन हेतु किया गया। शोध कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गहन अध्ययन करने के लिए न्यादर्श के रूप में चयनित विद्यालयों से 10–10 विद्यार्थी कुल 280 विद्यार्थियों का यादृच्छिक विधि से चयन किया गया है। ये विद्यार्थी सत्र 2022–23 में कक्षा 10वीं के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत है।

शोध विधि

साख्यिकीय विधिः सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार विधि से प्राप्त ऑकड़ो का वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया है। जिनकी व्याख्या एवं विष्लेशण हेतु, सांख्यकीय विधियाँ प्रयोग में लाई गयी है। प्रस्तुत शोधकार्य में परिकल्पनाओं का परीक्षण सांख्यकीय विधियों द्वारा करने के लिये– Mean, प्रतिशत (%) आदि प्रयोग किये गये है, साथ ही गुणात्मक विश्लेषण पर भी ध्यान रखा गया हैं।

शोध उपकरण

चयनित 280 विद्यार्थियों के सी.सी.ई. रिपोर्ट (2021–22) एवं कक्षा 9वीं की त्रैमासिक रिपोर्ट (2022–23) के आधार पर विषयवार एवं ग्रेडवार मूल्यांकन पत्रक तैयार किए गए। इन पत्रकों में अंकों एवं ग्रेडों दोनों को सम्मिलित किया गया।

पूर्व अध्ययन समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निमार्ण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है इनमें से मुख्य रूप से Basu (2013)[1], शर्मा (2007)[2], मंगल (2005)[3], पाठक (20013)[4], गुप्ता (1997)[5] Gupa (2009)[6], Jain (2011)[7] and Ojha (2013)[8] ने शोध विषय से सम्बन्धित कार्य किये है।

शोध क्षेत्र का परिचय :

उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में 98 मीटर (322 फीट) पर गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। यह क्षेत्र प्राचीन वत्स देश कहलाता था। इसके दक्षिण–पूर्व में बुंदेलखण्ड क्षेत्र है, उत्तर एवं उत्तर–पूर्व में अवध क्षेत्र एवं इसके पश्चिम में निचला दोआब क्षेत्र। प्रयागराज भौगोलिक एवं संस्कृतिक दृष्टि, दोनों से ही महत्वपूर्ण रहा है। गंगा–जमुनी दोआब क्षेत्र के खास भाग में स्थित ये यमुना नदी का अंतिम पड़ाव है। दोनों नदियों के बीच की दोआब भूमि शेष दोआब क्षेत्र की भाँति ही उपजाऊ किंतु कम

नमी वाली है, जो गेंहू की खेती के लिये उपयुक्त होती है। जिले के गैर–दोआबी क्षेत्र, जो दक्षिणी एवं पूर्वी ओर स्थिति हैं, निकटवर्ती बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के समान शुष्क एवं पथरीले हैं। भारत की नाभि जबलपुर से निकलने वाली भारतीय अक्षांश रेखा जबलपुर से 343 कि0मी0 (213 मील) उत्तर में इलाहाबाद से निकलती है।

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयोग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

सारणी 2: सी.सी.ई रिपोर्ट (प्रतिशत) 2021–22 (N = 280)

क्र.	ग्रेड	शासकीय शालाएँ		अशासकीय शालाएँ	
		संज्ञानात्मक क्षेत्र	सह–संज्ञानात्मक क्षेत्र	संज्ञानात्मक क्षेत्र	सह–संज्ञानात्मक क्षेत्र
1.	A	13.00	25.00	36.00	45.00
2.	B	26.00	42.00	37.00	53.00
3.	C	36.00	30.00	18.00	02.00
4.	D	25.00	03.00	09.00	00
5.	E	0	00	00	00

सारणी क्र. 2 से स्पष्ट होता है, कि शोध क्षेत्र के शासकीय शालाओं में संज्ञानात्मक क्षेत्र में ए ग्रेड में 13.00 प्रतिशत, बी ग्रेड में 26.00 प्रतिशत, सी ग्रेड में 36.00 प्रतिशत, डी ग्रेड में 25.00 प्रतिशत और ई ग्रेड में निरंक इसी प्रकार सह–संज्ञानात्मक क्षेत्र में ए ग्रेड में 25.00 प्रतिशत, बी ग्रेड में 42.00 प्रतिशत, सी ग्रेड में 30.00 प्रतिशत, डी ग्रेड में 3.00 प्रतिशत और ई ग्रेड में निरंक तथा अशासकीय शालाओं में संज्ञानात्मक क्षेत्र में ए ग्रेड में 36 प्रतिशत, बी ग्रेड में 37 प्रतिशत, सी ग्रेड में 18 प्रतिशत, डी ग्रेड में 9.00 प्रतिशत और ई ग्रेड में निरंक तथा सह–संज्ञानात्मक क्षेत्र में ए ग्रेड में 45.00 प्रतिशत, बी ग्रेड में 53.00 प्रतिशत, सी ग्रेड में 2.00 प्रतिशत, डी और ई ग्रेड में निरंक पाया गया।

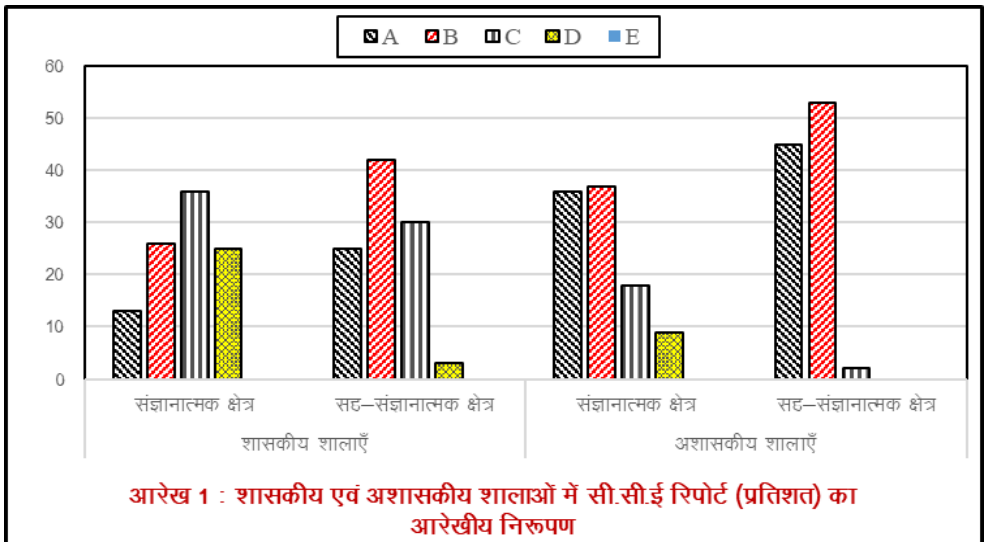

आरेख 1 : शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में सी.सी.ई रिपोर्ट (प्रतिशत) का आरेखीय निरूपण

सारणी 3: सी.सी.ई परिणाम की प्रभावशीलता (प्रतिशत) (N = 280)

क्र.	ग्रेड	शासकीय शालाएँ		अशासकीय शालाएँ	
		कक्षा 8वीं (2021–22)	कक्षा 9वीं (2022–23, त्रैमासिक रिपोर्ट)	कक्षा 8वीं (2021–22)	कक्षा 9वीं (2022–23, त्रैमासिक रिपोर्ट)
1.	A	13.00	05	36.00	42
2.	B	26.00	06	37.00	38
3.	C	36.00	18	18.00	14
4.	D	25.00	31	09.00	06
5.	E	0	40	00	00

सारणी क्र. 3 से स्पष्ट होता है कि शासकीय शालाओं में कक्षा 8वीं (2021–22) ए ग्रेड में 13.00 प्रतिशत, बी ग्रेड में 26.00 प्रतिशत, सी ग्रेड में 36.00 प्रतिशत, डी ग्रेड में 25.00 प्रतिशत और वही विद्यार्थी कक्षा 9वीं (2022–23) में ए व बी ग्रेड में 5.00 व 6.00 प्रतिशत, सी ग्रेड में 18.00 प्रतिशत, डी ग्रेड में 31.00 प्रतिशत तथा ई ग्रेड में 40.00 प्रतिशत सी.सी.ई परिणाम की प्रभावशीलता रही है। इसी प्रकार अशासकीय शालाओं में कक्षा 9वीं (2021–22) ए ग्रेड 36.00 प्रतिशत, बी ग्रेड 37.00 प्रतिशत, सी ग्रेड 18.00 प्रतिशत तथा डी ग्रेड 9.00 प्रतिशत और वही विद्यार्थी कक्षा 9 वीं (2022–23) में ए ग्रेड 42.00 प्रतिशत, बी ग्रेड 38.00 प्रतिशत, सी ग्रेड 14.00 प्रतिशत और डी ग्रेड 06.00 प्रतिशत सी.सी.ई परिणाम की प्रभावशीलता रही है।

सारणी 4: परीक्षा परिणामों में अन्तर (प्रतिशत) (N = 280)

क्र.	ग्रेड	शासकीय शालाएँ	अशासकीय शालाएँ
1.	A	-8	+6
2.	B	-20	+1
3.	C	-18	-4
4.	D	+6	-3
5.	E	+40	0

सारणी क्र. 3 से स्पष्ट होता है कि शासकीय शालाओं में ए ग्रेड में –8, बी ग्रेड में –20 तथा सी ग्रेड में –18 प्रतिशत की कमी आई है जबकि डी ग्रेड में +6 और ई ग्रेड में +40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अशासकीय शालाओं में ए ग्रेड में +6 और बी ग्रेड में +1 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है, सी और डी ग्रेड में गिरावट आयी है।

परिकल्पनाओं का सत्यापन व निरसन

परिकल्पना – 1: "सी.सी.ई. रिपोर्ट विद्यार्थियों का सही आंकलन कर पा रहा है।"

उपरोक्त सारणियों से स्पष्ट है कि सी.सी.ई रिपोर्ट शाला स्तर पर तैयार की गई है, अतः शासकीय शालाओं में कोई भी विद्यार्थी ई श्रेणी का नहीं पाया गया। सी.सी.ई में प्रावधान है कि यदि कोई विद्यार्थी ई ग्रेड में हो तो उन्हें उपचारात्मक शिक्षण देकर डी ग्रेड में लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। इस अतिरिक्त अध्यापन बोझ से बचने हेतु भी शिक्षक किसी भी विद्यार्थी को ई ग्रेड में नहीं रखा। इसका दुष्परिणाम कक्षा 9वीं में आने के बाद विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में देखने को मिल रहा है। 40 प्रतिशत विद्यार्थी ई ग्रेड में पाये गए। अतः हम कह सकते है सी. सी.ई. रिपोर्ट विद्यार्थियों का सही–सही आंकलन नही कर पा रहा है। अतः परिकल्पना निरसित होती है।

परिकल्पना – 2: "शासकीय शालाओं की तुलना में अशासकीय शालाओं द्वारा सी.सी.ई. का पालन अधिक गंभीरतापूर्वक किया जा रहा है।"

उपरोक्त सारणियों से स्पष्ट है कि सी.सी.ई रिपोर्ट से परिलक्षित होता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र की उपलब्धियों शासकीय शालाओं की तुलना में बेहतर है। 73.00 प्रतिशत विद्यार्थी ए व बी ग्रेड के है, जबकि मात्र 9.00 प्रतिशत डी ग्रेड के पाए गए। कक्षा 9वीं में आए इन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम कक्षा 8वीं के परिणाम के समतुल्य पाया गया। अतः परिकल्पना सत्यापित होती है।

निष्कर्ष

- शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों का सी.सी.ई. रिपोर्ट द्वारा मूल्यांकन किए जाने पर 13.00 प्रतिशत, बी ग्रेड में 26.00 प्रतिशत, सी ग्रेड में 36.00 प्रतिशत, डी ग्रेड में 25.00 प्रतिशत विद्यार्थी पाए गए, वहीं दूसरी ओर सह–संज्ञानात्मक क्षेत्र में इन्ही विद्यार्थियों का ग्रेडवार प्रदर्शन का प्रतिशत काफी अलग रहा।
- शोध क्षेत्र में सी.सी.ई द्वारा मूल्यांकित रिपोर्ट में अशासकीय शालाओं ए ग्रेड 38 प्रतिशत, बी ग्रेड 36 प्रतिशत, सी ग्रेड 16 प्रतिशत तथा डी ग्रेड 10 प्रतिशत रहा।
- शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में सी.सी.ई मूल्यांकन रिपोर्ट तथा कक्षा 9 वीं के परिणामों में काफी भिन्नता दिखाई दी।

संदर्भ

1. Basu, Mihika. & State Excel and RTE Implementation; c2013.
2. शर्मा, राजकुमारी, श्रीवास्तव एस.बी.एन., दुबे, एस.के. (2007)–भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें। राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा।
3. मंगल, एस.के. एवं मंगल श्रीमती शुभ्रा (2005) – विद्यार्थी विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, लायल बुक डिपो.
4. पाठक, पी.डी. एवं मंगल, एस.के. (2013) – अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अग्रवाल पब्लिकेशन्स.
5. गुप्ता, एस.पी. (1997) : सांख्यिकी विधियाँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.
6. Gupta, Shantanu: What are the diferent strategies and approaches to realize right to education in India?; 2009.
7. Jain, Manju. Understanding CCE in the context of RTE 2009. The primary teacher. 2011;36(3-4):6-8.
8. Ojha, Seema S. Implementing Right to Education, Issues and Challenges; c2013.